न्यायालय, सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), जैतारण (जिला–पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : **श्रीमति मधुलिका सींवर, आर0ए0एस0**

राजस्व वादपत्र संख्या : 32/2020

G.C.M.S. No. : 2020/00053

वादीगण/अप्रार्थीगणः– बनाम प्रतिवादीगण/प्रार्थीगणः–

1. कैलाशकंवर पुत्री शंकरसिंह
2. मन्जूकंवर पुत्री शंकरसिंह
3. गुड्डीकंवर पुत्र शंकरसिंह
4. हरीसिंह पुत्र शंकरसिंह

जातियान पुरोहित निवासीगण बिकरलाई तहसील जैतारण।

बनाम

1. शंकरसिंह पुत्र गुमानसिंह जाति पुरोहित
2. थानाराम पुत्र आपूराम जाति माली
3. प्रकाशसिंह पुत्र उंकारसिंह जाति पुराहित

निवासीगण बिकरलाई तहसील जैतारण।

4. तहसीलदार एवं उप पंजीयन अधिकारी, जैतारण जिला पाली।

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 ए, डी सी.पी.सी.</u>

तारीख रजू 29/06/2020

उपस्थितः– 1. श्री नितेश चौहान, अधिवक्ता, वादीगण/अप्रार्थीगण।
2. श्री ओमप्रकाश पंचारिया, अधिवक्ता, प्रतिवादी/प्रार्थी संख्या 2 व 3।

–:: निर्णय ::– **दिनॉकः–** 18/11/2021

वकील प्रतिवादीगण/प्रार्थीगण प्रतिवादी संख्या 2 प्रकाशसिंह व 3 थानाराम की और से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 ए, डी सी. पी.सी. विरुद्ध वादीगण/अप्रार्थीगण इस आशय का बिन्दुवार प्रस्तुत किया कि वादीगण/अप्रार्थीगण ने एक वाद स्थाई निषेधाज्ञा के वाद में वर्णित खसरा नम्बर 444 रकबा 3.10 बीघा का विरुद्ध प्रतिवादीगण/प्रार्थीगण के प्रस्तुत किया तथा स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा वादीगण जिस खसरा नम्बर के सम्बन्ध में अनुतोष चाहा जिसमे वादीगण/अप्रार्थीगण [illegible] है व न मौके पर कब्जा है। जो धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के पठन पाठन से स्पष्ट है। इसलिए वादीगण/अप्रार्थीगण द्वारा [illegible] वाद मे वादीगण/अप्रार्थीगण को प्रतिवादीगण/प्रार्थीगण के विरुद्ध [illegible] वाद पैदा होता है न ही कानूनन वादीगण खातेदार होने से वाद विधि [illegible] बाधित है । अतः प्रार्थनापत्र पेश कर अर्ज है कि वादीगण/अप्रार्थीगण को प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण के विरुद्ध न तो बिनाय वाद पैदा होता है न कानूनन उक्त नहीं भूमि के खातेदार काश्तकार वादीगण/अप्रार्थीगण होने से विधि द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.01.20 17:01:29
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

वाद बाधित है इसलिए वादीगण/अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पोषणिय नही होने से खारिज फरमावे ।

वकील वादीगण/अप्रार्थीगण द्वारा अनेकानेक अवसर दिये जाने के बावजूद जवाब प्रार्थना पत्र पेश नहीं करने से जवाब दर0 बंद किया गया। विद्वान अधिवक्ता वादीगण/अप्रार्थीगण की ओर से अपनें पक्ष में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टाँत प्रस्तुत किए गए :-

1. RRT 2011-12 (Supp.) Page no-74
2. RRT 2011-12 (Supp.) Page no-71
3. 2016(3)CJ(Civ.)(SC) Page no-762
4. 2013(3)DNJ(Raj.) Page no-62

हमने विद्वान अधिवक्ता उभयपक्षकारान की बहस सुनी एवं उस पर मनन किया एवं वादीगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत का ससम्मान अवलोकन किया। हमनें प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 ए, डी सी.पी.सी., वाद-पत्र एवं संगत विधिक प्रावधनों का गहनता से अध्ययन किया। पत्रावली के अवलोकन एवं विधिक प्रास्थिति के आधार पर प्रकरण का बिन्दुवार विवेचन एवं निर्णयन इस प्रकार हैः-

1. प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण द्वारा प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 ए,डी सी.पी.सी. के अन्तर्गत मुख्य रूप से यह प्रार्थना की है की है कि वादीगण द्वारा वादग्रस्त आराजी के जिस खसरा नम्बर के संबंध में अनुतोष चाहा है उसमें वादीगण खातेदार नहीं है अतः वाद प्रतिवादीगण/प्रार्थीगण के विरूद्ध बिनाय वाद पैदा नहीं होने व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 के वाद में वादीगण खातेदार न होने से वाद विधि द्वारा बाधित है। अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पोषणीय नहीं होने से खारिज फरमावें। अप्रार्थीगण/वादीगण ने दौराने बहस यह तर्क दिये कि वादीगण का वाद विधि द्वारा बाधित है अथवा नहीं यह साक्ष्य लिये जाकर विनिश्चय किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थना-पत्र अप्रार्थी खारिज फरमावें।
2. वादीगण/अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत वाद-पत्र का अवलोकन किया गया जिससे यह स्पष्ट है कि वादीगण/अप्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त आराजी के संबंध में प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण के विरूद्ध दावा बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रस्तुत किया गया है जिसमें प्रतिवादीगण/प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 ए,डी सी.पी.सी. पेश किया।
3. व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 07 नियम 11 समूह में निम्नलिखित विधिक प्रावधान हैः-

वादपत्र निम्नलिखित दशाओं में नामंजूर कर दिया जाएगा-

(क) जहाँ वह वाद-हेतुक प्रकट नहीं करता है;

(ख) ...

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.01.20 17:01:29 IS
Reason: SelfAttested

(ग) ...

(घ) जहाँ वादपत्र में के कथन से यह प्रतीत होता है कि वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है;

4. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 188 में निम्नानुसार विधिक प्रावधान है–

दोषपूर्ण बेदखली के विरूद्ध व्यादेश–

''कोई अभिधारी, जिसकी सम्पूर्ण जोत या उसके भाग पर के अधिकार या उसके उपभोग पर उसके भू–धारक अथवा किसी अन्य द्वारा अतिचार किया गया हो या अतिचार किये जाने का भय हो, शाश्वत व्यादेश के लिए वाद ला सकेगा।''

अतः केवल एक अभिधारी ही इस धारा के अधीन शाश्वत व्यादेश के लिए वाद ला सकता है। वादपत्र के पैरा संख्या 2 में यह अंकित किया है कि उक्त सम्पत्ति प्रतिवादीगण संख्या 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। वाद–पत्र के अनुतोष का अवलोकन किया गया जिसमें वादीगण/अप्रार्थीगण द्वारा वाद–पत्र में यह अंकित किया है कि वादग्रस्त आराजी में वादीगण के पिता शंकरसिंह के नाम की कृषि भूमि एवं प्रतिवादीगण के नाम की कृषि भूमि का रहन, बेचान, बक्शीश व अन्य हस्तांतरण न करावें। साथ ही वादपत्र में वादीगण/अप्रार्थीगण द्वारा कहीं भी यह कथन नहीं किया है कि वें वादग्रस्त आराजी के अभिधारी है। वाद–पत्र के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादीगण द्वारा अपने वाद–पत्र में प्रतिवादीगण के वादग्रस्त आराजी के खातेदार होने एवं स्वयं के खातेदार न होने के तथ्य को स्वीकार किया है। वादीगण द्वारा वाद–पत्र में विवादित आराजी के पैतृक पुश्तैनी होने से अपने हक अधिकार होने के कथन किये है परन्तु वादग्रस्त आराजी में घोषणा के संबंध में कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है।

अतः हमारा यह विनम्र अभिमत है कि वादीगण के वादग्रस्त आराजी के अभिधारी न होने के कारण इनके द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत पोषणीय नहीं होने एवं विधि द्वारा वर्जित होने के साथ–साथ उक्त वाद में वाद–कारण भी उत्पन्न नहीं होता है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हम प्रार्थना–पत्र प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 2 व 3 स्वीकार किया जाना विधि संगत एवं उचित समझते है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.01.20 17:01:29 IST
Reason: SelfAttested

–:: आदेश::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में यह स्पष्ट है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 ए, डी सी.पी.सी. भली–भांति साबित होने से स्वीकार किया जाता है। वाद–पत्र वादीगण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत पोषणीय नहीं होने एवं विधि द्वारा वर्जित होने के साथ–साथ वाद–कारण भी उत्पन्न नहीं होने से खारिज किया

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

जाता है। डिक्री पृथक से बनाई जाकर सा0मि0 हो। पत्रावली इसी कदर फैसल शुमार होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक), जैतारण
जिला–पाली (राज0)

निर्णय आज दिनांक 18/11/2021 को सरे ईजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक), जैतारण
जिला–पाली (राज0)

Signature Not Verified

Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.01.20 17:01:29 IST
Reason: SelfAttested

प्राथमिक डिक्री बमुकदमें इब्तदाई
(ओ 20 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :– **सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) अधिकारी, जैतारण**
बईजलास :– **श्रीमति मधुलिका सींवर, आर0ए0एस0**

वादीगण/अप्रार्थीगणः– **बनाम** **प्रतिवादीगण/प्रार्थीगणः–**

वादीगण/अप्रार्थीगणः–

1. कैलाशकंवर पुत्री शंकरसिंह
2. मन्जूकंवर पुत्री शंकरसिंह
3. गुड्डीकंवर पुत्र शंकरसिंह
4. हरीसिंह पुत्र शंकरसिंह

जातियान पुरोहित निवासीगण बिकरलाई तहसील जैतारण।

प्रतिवादीगण/प्रार्थीगणः–

1. शंकरसिंह पुत्र गुमानसिंह जाति पुरोहित
2. थानाराम पुत्र आपूराम जाति माली
3. प्रकाशसिंह पुत्र उंकारसिंह जाति पुराहित

निवासीगण बिकरलाई तहसील जैतारण।

4. तहसीलदार एवं उप पंजीयन अधिकारी, जैतारण जिला पाली।

मु0न0 :रा0वा0 स0: 32/2020

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 ए, डी सी.पी.सी.</u>

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू ....–........ व हाजरी श्री नितेश चौहान, अधिवक्ता, वादीगण मिनजानिब मुद्दई व श्री ओमप्रकाश पंचारिया, प्रतिवादी संख्या 2 व 3 मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादग्रस्त आराजी में स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा है। अतः वाद–पत्र वादीगण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत पोषणीय नहीं होने एवं विधि द्वारा वर्जित होने के साथ–साथ वाद–कारण भी उत्पन्न नहीं होने से प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण अंतर्गत आदेश–07 नियम–11 ए, डी सी.पी.सी. बखूबी साबित होनें से स्वीकार किया जाकर वाद वादीगण बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी कदर फैसल शुमार होकर, संख्या से कम होते हुए दाखिल दफ़्तर हो।

नीज .....–.....मुबलिक.....–.....बाबत......–.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....–......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....–.....को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 18/11/2[illegible] को जारी किया गया ।

मोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.01.20 17:01:29 IS[illegible]
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक),जैतारण
जिला–पाली (राज0)

मुद्दई	रूपये पैसे	मुद्दायलाह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2:00	स्टाम्प वकालतनामा	1:00
स्टाम्प वकालतनामा	1:00	स्टाम्प अर्जी	1:00
स्टाम्प वजह सबूत	0:00	महनताना वकील	0:00
महनताना वकील	0:00	खर्चा गवाहान	0:00
खर्चा गवाहान	3:00	फीस कमीश्नर	0:00
फीस कमीश्नर	0:00	बाबत ईजराय हुक्मनामा	0:00
बाबत ईजराय हुक्मनामा	0:00	मुत्फरिक	0:00
मिजानः–	6:00	मिजानः–	2:00

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Madhulik
Seenver
Date: 2022.01.20 17:01:29
Reason: SelfAttested